लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3639

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2019

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिनियम/विधन

3639. प्रो. अच्युतानंद सामंतः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कोई अधिनियम/विधान वर्तमान में लागू है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने राज्यों से उक्त अधिनियम की अनुपालन रिपोर्ट मांगी है; और
(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा से प्राप्त उक्त रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का अधिनियमन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिकरणों के माध्यम से बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करना अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया है, रिश्तेदारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा करने पर उनके द्वारा अंतरित संपत्ति का प्रतिसंहरण, वरिष्ठ नागरिकों का परित्याग करने पर दंडात्मक प्रावधान, निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और उनकी जान-माल का संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ): सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट मांगती है। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ओडिशा राज्य में उक्त अधिनियम की कार्यान्वयन रिपोर्ट **अनुबंध-क** पर दी गई है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ श्री अच्युतानंद सामंत द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3639 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

- **ओडिशा राज्य में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की कार्यान्वयन रिपोर्टः**

(1) मूल सूचनाः

ओडिशा में इस अधिनियम की अधिसूचना तारीख	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिनियम के प्रवर्तन की निश्चित तारीख	नियमों की अधिसूचना की तारीख	भरण-पोषण अधिकारी की अधिसूचना तारीख	भरण-पोषण अधिकरण की अधिसूचना तारीख	अपीलीय अधिकरण की अधिसूचना तारीख
20.09.2008	01.10.2008	24.09.2009	01.10.2009	01.10.2009	01.10.2009

(2) अधिकरणों में दावा पेश करना, निपटाना और लंबितता (2018-19 तक)

क्र.सं.	ब्यौरा	संख्या
1.	प्राप्त मामलों की संख्या	220
2.	निपटाए गए मामलों की संख्या	81
3.	शेष लंबित/चल रहे मामले	141
4.	लगाई गई शास्ति, यदि कोई हो	15
5.	वसूल की गई संपत्ति, यदि कोई हो	शून्य

(3) वृद्धाश्रमों की स्थापनाः

(क) 40 वृद्धाश्रम गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भारत सरकार के वित्त पोषण से चलाए जा रहे हैं, और

(ख) 03 वृद्धाश्रम गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राज्य सरकार के वित्त पोषण से चलाए जा रहे हैं,

(4) वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखभालः

(क) राज्य के सभी तीस जिलों में, या तो 10 जराचिकित्सा वार्ड हैं अथवा विशेष वार्डों की अनुपलब्धता के मामले में, प्रत्येक चिकित्सा वार्ड से 10 बिस्तरों वाले बेड हैं जिन्हें विशेष रूप से जरा चिकित्सा वार्ड हेतु विनिर्धारित किया गया है, जहां मरीजों की देखभाल चिकित्सा विशेषज्ञों/प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा की जाती है।

(ख) **निर्मया** योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवाइयां। उन मरीजों के लिए जीर्ण बीमारियों हेतु दवाइयों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है जो वरिष्ठ नागरिक हैं।

(ग) **निदान योजना** के अंतर्गत किए गए प्रोगनोसिस के निदान एवं मूल्यांकन हेतु निःशुल्क जांच।

(घ) प्रशक्षित फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा जिला अस्पताल फिजियोथेरेप्यूटिक पुनर्वास।

(ङ) उपर्युक्त सभी योजनाएं कुछ ब्लॉक स्तरीय संस्थानों में भी उपलब्ध हैं जैसे एसडीएच/सीएचसी और आगामी वित्तीय वर्ष तक सभी ब्लॉकों में ये योजनाएं प्रदान करने के लिए ऐसे एकीकृत केंद्रों की स्थापना करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) <u>अधिनियम के प्रचार हेतु कार्य योजनाः</u>

(क) राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति, 2016 वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए तैयार की गई है।

(ख) 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार के प्रति जागरुकता दिवस पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मनाया जाता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं पात्रताओं के संबंध में जागरुकता पैदा की जा सके।

(ग) वर्ष में दो बार एमडब्ल्यूपीएससी, 2007 के संबंध में प्रशिक्षण एवं ओरियंटेशन कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

(घ) बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में विशेष प्रावधान।

(ङ) डीएसएसओ, बीएसएसओ और उप-समाहर्ता कार्यालय में हेल्प-डेस्क की स्थापना की जाएगी।

(च) एमडब्ल्यूपीएससी, 2007 के संबंध में पीआरआई, एनजीओ कार्यकर्ताओं, पराविधिक स्वयंसेवकों और पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(6) <u>अधिनियम की निगरानीः</u>

(क) एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम 2007 और एमडब्ल्यूपीएससी नियम, 2009 के अंतर्गत जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समिति तैयार की गई है।

(ख) ओडिशा के सभी जिलों में जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समिति है।

(ग) समिति को इस अधिनियम के अंतर्गत दायर सभी मामलों और मासिक आधार पर इनकी प्रगति की जानकारी दी जाती है।

(घ) जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उप-समाहर्ता कार्यालय एवं वरिष्ठ नागरिक कक्ष के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होते हैं।

(ङ) राज्य स्तरीय समिति मामलों के समाधान के लिए जिला प्रशासन को सहायता भी प्रदान करती है।

(च) डीएसएसओ इस अधिनियम के अंतर्गत मामला दायर करने और उसकी सुनवाई करने के लिए उप-समाहर्ता कार्यालय एवं एसपी कार्यालय के साथ तालमेल करते हैं।

(छ) राज्य काउंसिल का गठन करने के लिए कदम उठाए गए हैं और यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा होने की आशा है।